"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई 2018 — आषाढ़ 12, शक 1940

### छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (आषाढ़ 12, 1940)

क्रमांक-6833/वि. स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2018 (क्रमांक 12 सन् 2018) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
**(चन्द्र शेखर गंगराड़े)**
सचिव.

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 12 सन् 2018)

# छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2018

**वित्तीय वर्ष 2018-2019 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.**

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग (क्र. 3) अधिनियम, 2018 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए राज्य की संचित निधि में से 48,77,54,02,967 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2018 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए चार हजार आठ सौ सतहत्तर करोड़ चौवन लाख दो हजार नौ सौ सड़सठ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

## अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

| अनुदान का संख्यांक | सेवाएं और प्रयोजन | | निम्नलिखित से अनधिक राशियां | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | विधान सभा द्वारा अनुदत्त | संचित निधि पर भारित | योग |
| (1) | (2) | | | (3) | |
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| . | भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | राजस्व | 0 | 3,37,11,00,000 | 3,37,11,00,000 |
| 01 | सामान्य प्रशासन | राजस्व | 15,29,00,100 | 21,00,000 | 15,50,00,100 |
| 03 | पुलिस | राजस्व | 84,20,62,200 | 30,00,000 | 84,50,62,200 |
| 04 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | राजस्व | 14,28,31,900 | 0 | 14,28,31,900 |
| 05 | जेल | राजस्व | 1,20,00,000 | 0 | 1,20,00,000 |
| 06 | वित्त विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 12,50,000 | 0 | 12,50,000 |

| (1) | (2) | | (3) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 8,50,30,000 | 0 | 8,50,30,000 |
| 08 | भू राजस्व तथा जिला प्रशासन | राजस्व | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 10 | वन | राजस्व | 300 | 0 | 300 |
| 12 | ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | पूंजी | 100 | 0 | 100 |
| 13 | कृषि | राजस्व | 60,00,00,000 | 0 | 60,00,00,000 |
| 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 8,42,00,000 | 0 | 8,42,00,000 |
| 17 | सहकारिता | राजस्व | 10,39,00,000 | 0 | 10,39,00,000 |
| | | पूंजी | 5,00,00,100 | 0 | 5,00,00,100 |
| 18 | श्रम | राजस्व | 20,85,40,100 | 0 | 20,85,40,100 |
| 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | राजस्व | 2,18,85,50,100 | 0 | 2,18,85,50,100 |
| | | पूंजी | 28,50,000 | 0 | 28,50,000 |
| 20 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | राजस्व | 100 | 52,58,067 | 52,58,167 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | पूंजी | 1,22,54,00,200 | 0 | 1,22,54,00,200 |
| 25 | खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 49,46,00,000 | 0 | 49,46,00,000 |
| 26 | संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 20,50,00,000 | 0 | 20,50,00,000 |
| 27 | स्कूल शिक्षा | राजस्व | 3,14,40,52,100 | 0 | 3,14,40,52,100 |
| 28 | राज्य विधान मंडल | राजस्व | 30,00,000 | 0 | 30,00,000 |
| 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | राजस्व | 31,30,00,100 | 0 | 31,30,00,100 |
| | | पूंजी | 7,00,000 | 1,40,00,000 | 1,47,00,000 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 6,34,58,50,000 | 0 | 6,34,58,50,000 |
| 31 | योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 1,00,00,000 | 0 | 1,00,00,000 |
| 33 | आदिम जाति कल्याण | राजस्व | 3,84,00,00,000 | 0 | 3,84,00,00,000 |

| (1) | (2) | | (3) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 41 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना | राजस्व | 9,52,88,72,500 | 0 | 9,52,88,72,500 |
| | | पूंजी | 2,15,38,00,300 | 0 | 2,15,38,00,300 |
| 42 | अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल | पूंजी | 300 | 0 | 300 |
| 44 | उच्च शिक्षा | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 46 | विज्ञान और टेक्नालाजी | राजस्व | 90,00,000 | 0 | 90,00,000 |
| 47 | कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग | राजस्व | 12,00,04,000 | 0 | 12,00,04,000 |
| 50 | बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 4,50,000 | 0 | 4,50,000 |
| 54 | कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय | राजस्व | 100 | 0 | 100 |
| 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | राजस्व | 44,44,51,100 | 0 | 44,44,51,100 |
| 64 | अनुसूचित जाति उपयोजना | राजस्व | 3,28,25,03,400 | 0 | 3,28,25,03,400 |
| | | पूंजी | 1,04,85,00,200 | 0 | 1,04,85,00,200 |
| 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | पूंजी | 7,24,31,300 | 0 | 7,24,31,300 |
| 71 | इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग | राजस्व | 5,00,00,000 | 0 | 5,00,00,000 |
| | | पूंजी | 2,83,40,00,000 | 0 | 2,83,40,00,000 |
| 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएं | पूंजी | 400 | 0 | 400 |
| 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय | राजस्व | 2,82,11,300 | 0 | 2,82,11,300 |
| | | पूंजी | 300 | 0 | 300 |
| 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | राजस्व | 1,64,42,00,100 | 0 | 1,64,42,00,100 |

| (1) | (2) | | (3) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | रुपये | रुपये | रुपये |
| 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | राजस्व | 4,10,78,00,300 | 0 | 4,10,78,00,300 |
| | **योग -** | **राजस्व** | **37,99,22,61,700** | **3,38,14,58,067** | **41,37,37,19,767** |
| | | **पूंजी** | **7,38,76,83,200** | **1,40,00,000** | **7,40,16,83,200** |
| | **वृहद योग** | | **45,37,99,44,900** | **3,39,54,58,067** | **48,77,54,02,967** |

## उद्देश्य और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिये विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 2 जुलाई, 2018

**डॉ. रमन सिंह**
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

---

**"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"**

---

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.